का पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

(2/11) वकील फरियादी उपस्थित। वकील नायब द्वारा जिरह गवाह की पेश नहीं की। पूर्व में काफी मौके दिये जा चुके हैं अब वकील नायब एक मौका और चाहते हैं अ.अ. अब रु.200/- Cost पर अन्तिम मौका दिया जाकर प्रगावलि हेतु जिरह सायल अन्तिम दिनांक 13/3/17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

(3/3) वकील फरियादी उपस्थित। वकील नायब द्वारा साक्ष्य गवाह पेश नहीं की एक मौका और चाहते हैं अ.अ. अब 200/- Cost पर अन्तिम मौका दिया जाकर प्रगावलि हेतु जिरह नायब दिनांक 13/3/17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

(3/3/17) प्रगावलि पेश हुई। न तो आवेदक उपस्थित आये और न ही उनके वकील उपस्थित आये और न ही आज दिनांक तक जिरह हेतु नायब पेश हुई। बार बार आदेश जारी करने पर आदेश लगातार जारी करने पर कोई भी उपस्थित नहीं आये। अ.अ. प्रार्थना पत्र खारिज, अदम पैरवी पर अदम तकमील में स्वीकृत किया जाता है। प्रगावलि फैसल शुमार होकर नस्ती बन्द हो। इस-किता दावा रहे।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज.)